मास्टर निदेश

रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें

विषय - सूची

1.	परिचय	**4**
2.	परिभाषाएं	**4**
3.	चालू खातों पर देय ब्याज दर	**5**
4.	बचत खातों पर देय ब्याज दर	**5**
5.	मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर	**5**
6.	अतिरिक्त देय ब्याज	**6**
6.1	स्टाफेत्तर जमाकर्ताओं को	**6**
6.2	बैंक के स्टाफ और उनकी एसोसिएशन को	**7**
6.3	बैंक के प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालकों को	**8**
6.4	वरिष्ठ नागरिकों को	**8**
7.	रविवार/छुट्टी /कारबारेतर कार्य दिवस को परिपक्व होनेवाली मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान	**8**
8.	मीयादी जमाराशि का परिपक्वता पूर्व आहरण	**8**
9.	मीयादी जमाराशि का संपरिवर्तन, दैनिक जमा के रूप में जमाराशि, या मीयादी जमा में पुनर्निवेश के लिए आवर्ती जमा	**9**
10.	अतिदेय जमाराशियां	**10**
11.	मृत जमाकर्ता के जमाखाते पर देय ब्याज	**10**
12.	लेनदेनों को पूर्णांकित करना	**10**
13.	मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिए आग्रिमों पर मार्जिन	**10**
14.	संयुक्त खाता धारकों के खाते में और नाम जोड़ना या हटाना या उन्हें अलग-अलग करना	**10**
15.	किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर जमाराशि को अंतरित करना /अलग करना	**11**
16.	छूट	**11**
17.	निषेध	**11**
	अनुबंध **1**	**14**
	अनुबंध **2**	**15**
	परिशिष्ट	**17**

मास्टर परिपत्र

रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें

1. परिचय

बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंकने इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, यह निदेश जारी किए हैं कि कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक उसके द्वारा स्वीकारी गई या नवीकृत की गई रुपया जमाराशियों पर अनुबंध 1 और 2 में बताई गई दरों के अलावा अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा । ब्याज की अदायगी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी ।

2. परिभाषाएँ

(i) " मांग देयताएं " और "मीयादी देयाताएं " का अर्थ वही होगा जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 में परिभाषित किया गया है ।

(ii) " मांग जमा " का अर्थ बैंक द्वारा स्वीकारी गई वह जमाराशि है जो मांग किए जान पर आहरणीय है ।

(iii) "बचत जमा" का अर्थ मांग जमा के उस प्रकार से है जो एक जमा खाता है, उसे "बचत खाता ", "बचत बैंक खाता ", "बचत जमा खाता " या अन्य किसी नाम से भी पुकारा जा सकता है । इसमें बैंक द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान आहरणों की संख्या और राशि प्रतिबंधित की जाती है।

(iv) "मीयादी जमा" का अर्थ बैंक द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए स्वीकारी गई वह जमा राशि है जो उस निर्धारित अवधि की समाप्ति पर आहरणीय होगी । इसमें आवर्ती /संचयी /वार्षिकी/पुनर्निवेश जमाराशियां, नकदी प्रमाणपत्र और ऐसी ही जमाराशियां शामिल हैं ।

(v) "सूचना जमा" का अर्थ विशिष्ट अवधि के लिए उस मीयादी जमाराशि से है जो कम से कम एकपूर्ण कार्य दिवस की सूचना पर आहरणीय है ।

(vi) "चालू खाता " का अर्थ है एक प्रकार की मांग जमाराशि जिसमें से खाते में जमाराशि के आधार पर चाहे जितनी बार या एक विशिष्ट सहमत राशि तक आहरण की अनुमति दी जाती है । इसमें उन सभी खातों को शामिल माना जा सकता है जो बचत जमा खाता और मियादी जमा नहीं हैं ।

(vii) "बजट आबंटन" का अर्थ बजट के माध्यम से सरकार द्वारा निधियों का आबंटन है । (जहां सरकार का सारा खर्च प्रदर्शित होता है) कोई भी संस्था , इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह सरकारी विभाग है , अर्ध सरकारी है या

अर्ध सरकारी निकाय है, जिसे सरकार से ग्रांट, ऋण या आर्थिक सहायता मिल रही है, बजट आबंटन पर निर्भर कहलाई जाएगी। इन संस्थाओं की शेयर पूंजी में सरकार का अभिदान भी बजट आबंटन का एक हिस्सा है । महानगरपालिकाओं , जिला परिषदों, तालुका पंचायतों और ग्राम पंचायतों

जैसी स्थानीय निकायों को "क्षतिपूर्ति और समनुदेशन" के रुप में ग्रांट दी जाती है जो कि बजट आबंटन का ही एक हिस्सा है । तथापि, इन संस्थाओं द्वारा वसूला गया कर केन्द्र और राज्य सरकार के बजट आबंटन की परिभाषा और परिधि में नहीं आता है ।

(viii) "बैंक स्टाफ सदस्य" का अर्थ है नियमित आधार पर पूर्ण कालिक या अंश कालिक, नियुक्त व्यक्ति, जिसमें प्रोबेशन पर भर्ती किया गया या किसी विशिष्ट अवधि के लिए ठेके पर नियुक्त या प्रतिनियुक्ति पर या समामेलन योजना के अनुसार लिया गया कर्मचारी शामिल है लेकिन इसमें आकस्मिक आधार पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है ।

(ix) बैंक स्टाफ का सेवानिवृत्त सदस्य का अर्थ है अधिवर्षिता या अन्य प्रकार से निवृत्त कर्मचारी , लेकिन इसमें जबरदस्ती या अनुशासनिक कार्रवाई के फलस्वरुप निवृत्त कर्मचारी शामिल नहीं है ।

(x) स्टाफ सदस्य के संदर्भ में "परिवार" का मतलब सदस्य / सेवानिवृत्त सदस्य की पत्नी /का पति, बच्चे , माता- पिता और सदस्य / निवृत्त सदस्य के आश्रित भाई और बहनें है । इसमें कानुनी तौर पर अलग हुए पति पत्नी शामिल नहीं हैं ।

(xi) "राजनैतिक पार्टी" का अर्थ है कोई संघ या भारतीय व्यक्तियों की निकाय जो थोड़े समय के लिए लागू चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत भारतीय चुनाव आयोग में एक राजनैतिक पार्टी के रुप में पंजीकृत है या पंजीकृत मानी गई है ।

टिप्पणी: एनआरओ / एनआरई जमाराशियां केवल उन्हीं बैंकों द्वारा स्वीकार की जाएं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो ।

3. चालू खातों पर देय ब्याज दर

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने विवेकानुसार चालु खातों पर आधा प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक ब्याज अदा कर सकते हैं । चूँकि आमतौर पर विवेकाधीन प्रावधानों के कारण ऐसी जमाराशियों की लागत में वृद्धि होती है इसलिए बैंकों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे चालू खातों पर कोई ब्याज न दें। चालू खातों के शेष पर ब्याज , जहां भुगतान किया जाना है, के भुगतान का परिकलन दैनिक उत्पाद के आधार पर तिमाही या लंबे अंतरालों पर किया जा सकता है ।

4. बचत जमाराशियों पर देय ब्याज दर

4.1 बचत और अन्य जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान अन्य उपबंधों के अधीन , इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध 1 और 2 में निर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा ।

4.2 ब्याज का परिकलन प्रत्येक कैलेंडर माह की 10 तारीख से लेकर अंतिम तारीख के दौरान न्यूनतम शेष पर किया जाएगा और जमा खाते में तभी जमा किया जाएगा जब देय ब्याज की राशि 1/- रुपया या अधिक हो । जैसा कि भारतीय बैंक संघ ने अपने सदस्यों को सुझाव दिया है, बैंक परिकलित ब्याज की राशि को समान रुप से निकट रुपये में पूर्णांकित कर सकते हैं ।

4.3 यह ब्याज तिमाही आधार पर या लंबे अंतरालों पर अदा की जाएगी ।

5. (क) 15 दिनों से कम की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (15 लाख रूपये और अधिक की मीयादी जमाराशि के लिए 7 दिन और एनआरई जमारशि के लिए 1 वर्ष) बैंक इस परिपत्र के अनुबंध 1 और 2 में निर्दिष्ट दरों से ब्याज अदा करेंगे । बैंक देशी मीयादी जमाराशियों के लिए किसी दर से संबध्द अस्थायी दर पर और एनआरई जमाराशियों के लिए इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध 2 में उल्लिखित उच्चतर सीमा पर अपने विवेकानुसार ब्याज देने के लिए स्वतंत्र हैं। विभिन्न परिपक्वाताओं वाली ब्याज दरें तय करने के लिए निदेशक मंडल का पूर्वानुमोदन लिया जाना चाहिए ।

5.1 बैंक मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

5.2 बैंक 01 नवंबर 2004 से अपने विवेकाधिकार से 15 लाख रुपये से कम की घरेलू/एनआरओ मीयादी जमाराशियों की भी न्यूनतम अवधि 15 दिनों से घटाकर 7 दिनों तक कर सकते हैं।

5.3 बैंकों को चाहिए कि वे एक समान परिपक्वता अवधि वाली 15 लाख रुपये से कम जमाराशियों के लिए एक समान दर निश्चित करें।

5.4 एक ही तारीख को स्वीकृत समान परिपक्तावाली 15 लाख रुपये और उससे अधिक राशि के मामले में बैंक जमाराशि के आकार के आधार पर ब्याज दर में अंतर कर सकते हैं ।

5.5 बैंको के लिए यह आवश्यक है कि वे उन जमाराशियों सहित जिन पर विभेदक ब्याज अदा की जाएगी, ब्याज दरों की सूची अग्रिम तौर पर प्रदर्शित करें । किसी बैंक द्वारा देशी हजमाराशियों के लिए अदा की गई ब्याज दर सूची के अनुसार होगी और उसे बैंक और जमाकर्ता बातचीत से तय नहीं कर सकेंगे ।

5.6 बैंक विभिन्न परिपक्तावली घरेलू मीयादी जमा राशियों पर ब्याज दर सूची की समीक्षा करें और उन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दरों की तुलना में लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ।

(ख) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज परिकलन की प्रणाली

सदस्य बैंकों द्वारा बैंकिंग प्रथाएं समान रूप से अपनाए जाने के लिए आईबीए द्वारा इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) कोड जारी किए गए हैं । कोड से यह अपेक्षित हैं कि वे न्यूनतम मानक स्थापित कर बैंकिंग प्रथाओं को उन्नत करें जिसे सदस्य बैंक ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय आचरण में लाएं । देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज के परिकलन के लिए आईबीएने यह निर्धारित किया है कि तीन माह से कम की देय जमाराशियों पर या जहां अंतिम तिमाही अपूर्ण हो वहां वर्ष को 365 दिनों का मानते हुए वास्तविक दिनों की संख्या के लिए अनुपातिक आधार पर ब्याज अदा की जाए । हमें यह सूचना मिली है कि कुछ बैंक वर्ष को लीप वर्ष और अन्य वर्षों के लिए क्रमश: 366/365 दिनों का मान कर ब्याज अदा कर रहे हैं। बैंक जब कि अपनी -अपनी प्रणाली अपनाने के लिए स्वतंत्र है तथापि, उन्हें चाहिए कि वे जमाराशि स्वीकार करते समय अपने जमाकर्ताओं को ब्याज के परिकलन के तरीके की समुचित रूप से जानकारी दें और इस सूचना के अपनी शाखाओं में प्रदर्शित करें ।

6. अतिरिक्त देय ब्याज

6.1 स्टाफेत्तर जमाकर्ताओं को

(i) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने विवेक से स्थानीय रुपया (देशी) बचत जमाराशियों पर और निवासी जमाकर्ताओं द्वारा खोले गए उन बचत खातों पर जो जमाकर्ताओं के विदेश जाने पर साधारण अनिवासी खाते (एनआरओ) बन जाते हैं , 1% प्रतिवर्ष से अनधिक दर से अतिरिक्त ब्याज अदा कर सकते हैं।

(ii) बैंकों को जब कि बचत बैंक जमाराशियों और चालू खातों की जमाराशियों पर क्रमश: 1% और 1/2% से अनधिक अतिरिक्त ब्याज देने की अनुमति दी गई है तथापि, विवेकपूर्ण प्रावधानों के फलस्वरुप सामान्यत: जमाराशियों की लागत में वृध्दि हो जाती है । अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे शीघ्रातिशीघ्र निम्नलिखित उपाय करें ।

(क) वे बचत बैंक खातों पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दर से अधिक अतिरिक्त ब्याज न दें और

(ख) चालू खातों पर ब्याज न दें ।

6.2 बैंक स्टाफ और उनके संघों को

कोई बैंक अपने विवेक से अनुबंध 1 और 2 में निर्धारित ब्याज दर से ऊपर एक प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक और पैराग्राफ 5 के अनुसार देय/प्रदत्त अतिरिक्त ब्याज अदा कर सकता है ।

(क) निम्नलिखित के नाम से खोले गए बचत और मीयादी जमा खातों के संबंध में ,

(i) बैंक स्टाफ के किसी सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य के नाम से अकेले या किसी अन्य सदस्य या अपने परिवर के किसी सदस्य के साथ संयुक्त रुप से ।

(ii) मृत सदस्य की पत्नी/केपति या बैंक स्टाफ के किसी मृत सेवानिवृत्त सदस्य के नाम और

(iii) कोई एसोसिएशन या कोई निधि जिसके सदस्य बैंक स्टाफ के सदस्य है के नाम बशर्ते - बैंक संबंधित जमाकर्ता से इस आशय का एक घोषणापत्र प्राप्त करे कि ऐसे खाते में जमा की गई राशि या समय समय पर जमा की जानेवाली राशि ऊपर शर्त (i) से (iii) में बताएं गए अनुसार जमाकर्ता कि राशि होगी ।

बशर्ते यह भी कि :-

(क) दूसरे बैंक से प्रतिनियुक्ति पर लिए कर्मचारी के संबंध में जिस बैंक से उसे प्रतिनियुक्त किया गया है वह बैंक प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान खोले गए बचत और मीयादी खातों पर अतिरिक्त ब्याज दे सकता है ।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर या निर्धारित अवधि के लिए ठेके पर लिया गयाा हो तो प्रतिनियुक्ति या ठेके की अवधि, जैसी भी स्थिति हो, समाप्त हो जाने पर लाभ बंद हो जाएंगे ।

(ख) अतिरिक्त ब्याज का भुगतान निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा ,

(i) अतिरिक्त ब्याज तब तक देय होगी जब तक कि व्यक्ति उसके लिए पात्र बना रहता है । मीयादी जमा खाते के मामले में जमाराशि की परिपक्वता अवधि पर वह उसके लिए पात्र नहीं रहेगा ।

(ii) समामेलन योजना के अनुकरण में लिए गए कर्मचारियों के मामले में अतिरिक्त ब्याज तभी देय होगी जब अतिरिक्त ब्याज सहित संविदाकृत ब्याज दर, यदि ऐसे कर्मचारी को मूलत: बैंक कर्मचारी के रुप में नियुक्त करने पर दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक न हो ।

(ग) बैंक कर्मचारी फेडरेशन जिनमें बैंक के कर्मचारी सीधे सदस्य नहीं हैं , अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नही होंगे ।

6.3 बैंक के प्रबंध निदेशकों /मुख्य कार्यपालकों को कोई बैंक अपने विवेक से प्रबंध निदेशक से प्राप्त /नवीकृत जमाराशियों पर अनुबंध 1 और 2 में निर्धारित ब्याज दर और पैराग्राफ 5.1 के अनुसार देय/प्रदत्त अतिरिक्त ब्याज से ऊपर एक प्रतिशत प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज दे सकता है बशर्ते वह (प्रबंध निदेशक) नियमित वेतन पर बैंक के मुख्य कार्यपालक की हैसियत से काम करता हो और पैराग्राफ 5.2 के अंतर्गत उसी प्रकार के लाभ लेने का पात्र न हो । बैंक के प्रबंध निदेशक की जमाराशियों पर ऊपर बताए गए अनुसार अतिरिक्त ब्याज प्रबंधक निदेशक के रुप में उसके कार्यकाल के दौरान ही देय होगी ।

6.4 ज्येष्ठ नागरिकों को

(i) बैंक अपने निदेशक मंडल की अनुमति से ज्येष्ठ नागरिकों को किसी भी आकार की मीयादी जमाराशियों पर उच्च ब्याज दर दे सकते हैं ।

(ii) ज्येष्ठ नागरिकों के लिए मीयादी जमाराशि योजना में जमाकर्ता की मृत्यु पर हो जाने पर जमाराशि अपने आप उनके नामिनी के नाम अंतरित हो जाने की सरलीकृत क्रियाविधि होनी चाहिए ।

7. रविवार/छुट्‌टीवाले दिन/कारबारेत्तर कार्यदिवस को परिपक्व होनेवाली मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान

रविवार/छुट्‌टीवाले दिन/कारबारेत्तर कार्यदिवस को भुगतान करने के लिए परिपक्व होनेवाली मीयादी जमाराशियों के संबंध में बैंक अगले कार्यदिवस तक पहले से सहमत दर से ब्याज अदा करेंगे -

(i) पुनर्निवेश जमाराशियों और आवर्ती जमाराशियों के मामले में परिपक्वता मूल्य पर , और

(ii) सामान्य मीयादी जमाराशि के मामले में वर्ष में 365 दिन के आधार पर आरंभिक मूल धन पर

8. मीयादी जमाराशि का परिपक्वतापूर्व आहरण

8.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमाकर्ता के अनुरोध पर राशि जमा करते समय तय की गई अवधि पूर्ण होने से पहले किसी मीयादी जमाराशि के आहरण की अनुमति दे सकता है । ऐसी स्थिति में बैंक मीयादी जमाराशि के अवधि पूर्ण होने सेपहले आहरण करने पर अपना दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

8.2 बैंक यह सुनिश्चित करें कि जमाकर्ता को जमा दर के साथ-साथ दंडात्मक दर लगाए जाने से भी अवगत करा दिया जाता है

8.3 बैंक अपने विवेक से, व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार को छोड़कर संस्थाओं को परिपक्वता अवधि से पूर्व बडी राशिवाले आहरण की अनुमति नकार सकते हैं । तथापि, बैंकों को अग्रिम तौर पर अर्थात जमाराशियां स्वीकार करते समय जमाकर्ताओं को परिपक्वता अवधि से पूर्व आहरण की अनुमति नहीं दिए जाने की अपनी नीति से अवगत करा देना चाहिए ।

8.4 तथापि, एफसीएनआर(बी) जमाराशियां बनाए रखने की अनुमति के लिए एनआरई जमाराशियों को एफसीएनआर(बी) जमाराशियां में और इसके विपरित किया गया संपरिवर्तन परिपक्वता पूर्व आहरण से संबंधित दंडात्मक उपबंधों के अधीन होगा।

8.5 निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं

यह बात रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाई गई है कुछ बैंक नियमित मीयादी जमाराशियों के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को 300 दिन से पांच वर्ष तक की विस्तारित सीमा वाले विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद प्रस्तावित कर रहे हैं जिनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) 6 से 12 महीने तक की विस्तारित सीमा वाली निश्चित अवरुद्धता अवधि;

(ii) निश्चित अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की अनुमति नहीं होती है। अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की स्थिति में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है;

(iii) इन जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरें, सामान्य जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दरों के अनुरूप नहीं हैं; तथा

(iv) कुछ बैंक विशिष्ट शर्तों के अधीन आंशिक रूप से समयपूर्व भुगतान की अनुमति देते हैं।

अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से नयी देशी जमा संग्रहण योजनाएं प्रारंभ करने से पूर्व जमाराशियों पर ब्याज की दरों, मीयादी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण, मीयादी जमाराशियों की जमानत पर ऋण/अग्रिमों की स्वीकृति आदि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। इससे संबंधित किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) के अंतर्गत दंड भी लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ बैंकों द्वारा प्रवर्तित निश्चित अवरुद्धता अवधि तथा ऊपर उल्लिखित अन्य विशेषताओं वाली विशेष योजनाएं हमारे अनुदेशों के अनुरूप नहीं हैं। अत: जिन बैंकों ने ऐसी जमा योजनाएं प्रवर्तित की हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि उन योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें और उसके अनुपालन की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

9. मीयादी जमाराशि में निवेश करनेके लिए किसी मीयादी जमा, दैनिक जमा के रुप में किसी जमाराशि, या वार्षिि जमाराशि का संपरिवर्तन

9.1 कोई बैंक जमाकर्ता के अनुरोध पर किसी मीयादी जमा, दैनिक जमा के रुप में किसी जमाराशि या आवर्ती जमा खाते को बंद करने की अनुमति दे सकता है ताकि जमाकर्ता उक्त जमाखातों में रखी राशि को उसी बैंक में दूसरे मियादी जमा खाते मे तुरंत पुनर्निवेश कर सके ।

9.2 बैंक ऐसी जमा राशियों पर ऊपर पैरा 8.1 में बताए गए अनुसार, दंड के कारण ब्याज को घटाए बिना जैसा कि उक्त पैरा में कहा गया है, ब्याज अदा करेंगे बशर्ते जमाराशि मूल संविदा की बकाया अवधि से लंबे समय तक बैंक के पास रहती है ।

10. अतिदेय जमाराशियां

अतिदेय जमाराशियों के नवीकरण से संबंधित सभी पहलू बैंक द्वारा स्वयं तय किए जाएं बशर्ते, निदेशक मंडल इस बारे में एक पारदर्शी नीति निर्धारित करें और जमाराशियां

स्वीकार करते समय जमाकर्ता को ब्याजदर सहित नवीकरण की शर्तों की पूर्ण जानकारी दी जाए । यह नीति न तो विवेकाधिकार पर आधारित हो और न ही भेदभावपूर्ण हो ।

11. मृत जमाकर्ता के जमाखाते पर देय ब्याज

निम्नलिखित के नाम रखी मीयादी जमाराशि पर ब्याज का भुगतान करने संबंधी मानदंड : -

(i) मृत जमाकर्ता व्यक्ति

(ii) दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ता, जहां एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, वहां ब्याज का भुगतान कानुनी वारिसा प्रतिनिधि / नामितियों को करने निदेशक मंडल इस बारे में एक पारदर्शी नीति निर्धारित करे और जमाकर्ता को राशि स्वीकार करते समय पूरी जानकारी दी जाए । यह नीतिं न तो विवेकाधिकार पर आधिरित हो और न ही भेदभावपूर्ण हो ।

12. लेन देनों को पूर्णांकित करना

जमाराशियों पर देय ब्याज और अग्रिमों पर प्रभार्य ब्याज को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे और अधिक की भिन्न को अगले रुपये में पूर्णांकित कियाजाएगा जब कि 50 पैसे से कम की भिन्न को छोड़ दिया जाएगा ।

13. मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये गए अग्रिमों पर मार्जिन

बैंक द्वारा मीयादी जमाराशि की जमानतपर दी गई किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पर्याप्त मार्जिन बनाए रखने का निर्णय प्रत्येक बैंक पर छोड़ दिया गया है, बशर्ते उनका बोर्ड इस संबंध में एक पारदर्शी नीति तय करें ।

14. संयुक्त खाता धारकों के नाम जोड़ना, हटाना या अलग-अलग करना कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने विवेक से और जमाराशि के संयुक्त खाताधारकों यदि कोई हो, के अनुरोध पर,

(i) परिस्थितियों की गरज के अनुसार संयुक्त खाता धारकों के नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकता है, या

(ii) किसी अकेले जमाकर्ता को संयुक्त खाता धारक के रुप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने की अनुमति दे सकता है, या

(iii) संयुक्त जमाराशि को प्रत्येक संयुक्त खाता धारक को नाम अलग-अलग करनेकी अनुमति दे सकता है,

बशर्ते जमाराशि यदि मीयादी जमाराशि हो तो मूल जमा की राशि और अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन न होता हो ।

15. किसी खाताधारक की मृत्यु हो जानेपर जमाराशि का अंतरण / विभाजन

किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जानेपर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमाराशि को जमाकर्ता के एक या अधिक कानूनी उत्तराधिकारीयों, कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों के नाम संयुक्त रुप से या अन्य व्यक्तियों के साथ या राशि को विभाजित कर उनके नामें में अलग-अलग रखने की अनुमति दे सकता है ।

16. छूट

जमाराशियों पर ब्याज दर के बारे में जारी दिशानिर्देर्शो में बताई गई कोई भी बात / शर्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निम्नलिखित से प्राप्त जमाराशियों पर लागू नहीं होगी ।

(i) उधारदाता तथा उधारकर्ताओं दोनों के रूप में माँग/सूचना मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए अनुमत संस्थाएं (अनुबंध 3)।

(ii) केवल उधारदाता के रूप में माँग/सूचना मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए अनुमत ससस्थानों से 14 दिनों से अनधिक अवधि के लिए (अनुबंध 4)।

(iii) "विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना" के अंतर्गत किसी जमाकर्ता से।

17. निषेध

17.1 कोई भी बैंक

(i) ज्येष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई विशिष्ट मीयादी जमा योजना जिसमें किसी भी आकार की जमाराशि की तुलना में उच्च और निधारित ब्याज अदा की जाती है और 15 लाख रुपये और उससे अधिक की एकल मीयादी जमाराशि जिस पर जमाराशि के आकार के आधार पर भिन्न-भिन्न ब्याज दर अनुमत की जाती है, को छोड़कर ब्याज अदा करने के मामलेमें एक ह ी तारीख और समान परिपक्वता वाली दो जमाराशियों के बीच भेदभाव नही करेगा भले ही जमाराशियां बैंक के एक ही कार्यालय में या अलग अलग कार्यालयों में प्राप्त की गई हों ।

(ii) निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी एसोसिएशन, संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को जमाराशि पर दलाली नहीं देगा ।
(क)किसी विशेष योजना के अंतर्गत द्वार-द्वार जाकर जमाराशि इकठ्ठा करने के लिए नियुक्त एजेंट को प्रदत्त कमीशन ।

(ख) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए गए अनुसार स्टाक को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि

(iii) जमाराशि इकट्ठा करने या जमाराशि से सहबद्ध किसी उत्पादन की बिक्री करने के लिए किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, असोसिएशन, संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को, ऊपर खंड (ii) के उप खंड (क) में अनुमत सीमा को छोड़कर किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक, शुल्क या कमीशन के भुगतान पर नियुक्त नहीं करेगा । काम पर नहीं लगाएगा ।

(iv) इनाम/लॉटरी/नि:शुल्क यात्रा (भारत में या विदेश में) जैसी कोई जमा संग्रहण योजना नहीं चलाएगा ।

(v) मौजूदा /भावी उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी जरुरतों को पूरा करने या जमा संग्रहण की उगाही के आधार पर मध्यस्थियों को ऋण देने के लिए एजंटों/तीसरे पक्षकारों के जरिए संसाघनों को जुटाने हेतु किसी अनैतिक प्रथा का सहारा नहीं लेगा ।

(vi) जनता से जमाराशि एकत्रित करने के लिए अवधि विशेष के लिए बैंक द्वारा दी जा रही वास्तविक साधारण ब्याज दर का उल्लेख किए बिना केवल मीयादी जमाराशियों के बारे में यौगिक उत्पादन को उजागर करने वाले कोई विज्ञापन साहित्य जारी नहीं करेगा । जमाराशि की अवधि के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर का उल्लेख अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिए।

(vii) किसी भी ऐसी व्यवस्था के तहत (जिसमें नीजी वित्तपोषकों के एजंट/एजेटों के पक्ष में जमा रसीदें जारी करनी पड़ती हों या ऐसी परिपक्वता पर ऐसी जमाराशि प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को मुख्तारनामा, नामांकन या अन्य प्रकार का कोई प्राधिकार देना पड़ता हो) जमाराशि स्वीकार नहीं करेगा ।

(viii) अन्य बैंकों की सावधि जमा रसीदों या अन्य मीयादी जमाराशियों की जमानत पर कोई अग्रिम प्रदान नहीं करेगा ।

17.2 विशिष्ट निकायों /संगठनों के नाम खाते

(i) कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक उन सरकारी विभागों/निकायों को जो अपने कार्य निष्पादन के लिए बजट आबंटन पर आश्रित हैं / महानगरपालिकाओं या म्युनिसीपल कमेटियों/पंचायत समितियों/राज्य हाऊसिंग बोर्डो/ वाटर ऍण्ड सीवरेज/ड्रेनेज बोर्डो/राज्य पाठयपुस्तक मुद्रण निगम/सोसायटियां/महानगरीय विकास प्राधिकरण/राज्य/जिला स्तरीय सहकारी आवास समितियां आदि या कोई राजनैतिक पार्टी या कोई व्यापारी /व्यावसायिक या मालिकाना संस्था भले ही वह संस्था मालिकाना हो या साझेदारी फर्म हो या कंपनी हो या एसोसिएशन हो, के नाम कोई बचत बैंक खाता नहीं खोलेगा ।

ऊपर (I) पर बताया गया निषेध निम्नलिखित संगठनों/ एजंसियों के मामलों में लागू नहीं होगा:

(क) लघु कृषक विकास एजेंसी (एसएफडीए)

(ख) सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियां (एमएफएएल)

(ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)

(घ) जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए)

(ड़) जिला ग्रामिण विकास एजेंसी/सोसायटी (डीआरडीए/डीआरजीएस)

(चा) समेकित जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)

(छ) कृषि उत्पादन बाजार समितियां

(ज) खादी और ग्ग्रमोद्योग बोर्ड

(झ) मछली पालक विकास एजेंसी (एफएफडीए)

(ञ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के या किसी राज्य या संघशासित राज्य में प्रभावी कानून के तहत पंजीकृत सोसायटियां

(ट) कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित वे कंपनियां जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत या भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के प्रतिपक्षी उपबंध के अंतर्गत सरकार क्षरा लाइसेंस दिया गया है और अपने नाम के आगे "लिमिटेड" या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों को न जोड़ने की अनुमति दी गई है ।

(ठ) ऊपर 17.2 (i) में बताई गई संस्थाओंको छोडकर और जिनकी संपूर्ण आय को आयकर अधिनियमन 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट दी गई है ।

(ड) जवाहर रोजगार योजना निधियों के संबंध में "जिला परिषद/ग्राम पंचायतें" ।

(ढ़) हिंदु अविभक्त परिवार, बशर्ते हिंदु अविभक्त परिवार किसी व्यापार या व्यवसाय में न लगा हो और खाता कर्ता के नाम निर्दिष्ट हो ।

मास्टर परिपत्र

रुपया जमाराशियों पर ब्याज दर

जमाराशियों पर ब्याज की दर

(घरेलू और एनआरओ जमाराशियां)*

[पैरा 1, 4.1, 6.2 और 6.3 देखें]

खाते की श्रेणी	प्रतिशत प्रतिवर्ष
(i) चालू	0.5 से अधिक नहीं @
(ii) बचत	3.5 @
(iii) मीयादी जमाराशियां (क) 15 लाख रुपये और उससे अधिक (न्यूनतम 7 दिन की अवधि)	मुक्त (जमाराशि की मात्रा के आधार पर दर में परिवर्तन हो सकता है)
(ख) 15 लाख रुपये से कम (न्यूनतम 7 दिन की अवधि)	मुक्त (सभी ग्राहकों के लिए एक समान)
@ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने विवेकाधिकार से क्रमश: बचत बैंक जमाराशियों पर एक प्रतिशत और चालू खातों पर आधा प्रतिशत प्रतिवर्ष की सीमा तक अतिरिक्त ब्याज दे सकते हैं । चूँकि उक्त विवेकाधिकार के प्रावधान से उनकी जमाराशियों की लागत बढ़ जाती है इसलिए शहरी सहकारी बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे निम्नलिखित उपाय करें: (i) बचत बैंक खातों पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से अधिक अतिरिक्त ब्याज न दें; (ii) चालू खातों पर ब्याज न दें।	

* साधारण अनिवासी (एनआरओ) जमाराशियां केवल वही बैंक स्वीकार करेंगे जिन्हें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बारे में प्राधिकृत किया हो ।

****

अनुबंध 2

मास्टर परिपत्र

रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें

जमाराशियों पर ब्याज की दर

(एनआरई जमाराशियां)*

[पैरा 1, 4.1, 6.2(i) और 6.3(i) देखें]

खाते की श्रेणी	प्रतिशत प्रतिवर्ष
(i) चालू	कुछ नहीं
(ii) बचत	@
(iii) मीयादी जमाराशियां	@@

* अनिवासी (बाह्य) रूपया जमारशियां केवल वही बैंक स्वीकार करेंगे जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बारे में प्राधिकृत किया हो।

@ भारत में 17 अप्रैल 2005 को कारोबार की समाप्ति से एनआरई जमाराशियां पर ब्याज दरें छ: माह की परिपक्वतावाली अमरीकी डालर जमाराशियों के लिए लीबोर / स्वैप दर की बजाय घरेलू बचत जमाराशियों पर लागू होने वाली ब्याज दरों के बराबर होनी चाहिए।

(ii) एनआरई बचत जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एनआरई बचत जमाराशि का खाताधारक बचत जमाराशि को किसी भी समय निकाल सकता है, इसलिए बैंक इन जमाराशियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का लीयन निश्चित न करें ।

@@

(i) 29 अप्रैल 2003 से नई एनआरई जमाराशियों की परिपक्वता अविध साधारणत: एक से तीन वर्ष की होगी है । यह बात अपनी परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गई एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगी ।

यदि कोई विशिष्ट बैंक अपने आस्ति देयता प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए ऐसी जमाराशियां स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते ऐसी जमाराशियों पर ब्याज दर 3 वर्ष की एनआरई जमाराशि के लिए लागू दर से अधिक न हो ।

(ii) नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर एक से तीन वर्ष के लिए ब्याज दरें :

(क) 24 अप्रैल 2007 से संवीदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें उसी परिपक्वता की पिछले महीने के अंतिम कार्य-दिवस को अमरीकी डालर के लिए लीबोर/स्वैप दर से से अधिक नहीं होनी चाहिए । ये दरें तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की जमाराशियों और मौजूदा परिपक्वता अवधि के बाद नवीनीकृत एनआरई जमाराशियों के लिए भी लागू होंगी;

(ख) 31 जनवरी 2007 से संवीदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें उसी परिपक्वता की पिछले महीने के अंतिम कार्य-दिवस को अमरीकी डालर के लिए लीबोर / स्वैप दर से 50 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए । ये दरें तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की जमाराशियों और मौजूदा परिपक्वता अवधि के बाद नवीनीकृत एनआरई जमाराशियों के लिए भी लागू होंगी;

(ग) 18 अप्रैल 2006 से संवीदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें उसी परिपक्वता की पिछले महीने के अंतिम कार्य-दिवस को अमरीकी डालर के लिए लीबोर / स्वैप दर से 100 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए । ये दरें तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की जमाराशियों और मौजूदा परिपक्वता अवधि के बाद नवीनीकृत एनआरई जमाराशियों के लिए भी लागू होंगी;

(घ) 17 नवंबर 2005 से संवीदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें उसी परिपक्वता की पिछले महीने के अंतिम कार्य-दिवस को अमरीकी डालर के लिए लीबोर / स्वैप दर से 75 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए । ये दरें तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की जमाराशियों और मौजूदा परिपक्वता अवधि के बाद नवीनीकृत एनआरई जमाराशियों के लिए भी लागू होंगी;

(ङ) 1नवंबर 2004 से संवीदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय जमाराशियों पर ब्याज दरें उसी परिपक्वता की पिछले महीने के अंतिम कार्य-दिवस को अमरीकी डालर के लिए लीबोर / स्वैप दर से 50 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दरें तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की जमाराशियों और मौजूदा परिपक्वता अवधि के बाद नवीनीकृत एनआरई जमाराशियों के लिए भी लागू होंगी;

(च) भारत में 17 अप्रैल 2004 को कारोबार की समाप्ति से संवीदाकृत हो , उसी परिपक्वता अवधि की अमरीकी डालर की लीबोर / स्वैप दर से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(छ) भारत में 18 अक्तूबर 2003 को कारोबार की समाप्ति से संवीदाकृत हों, उसी परिपक्वता अवधि की अमरीकी डालर की लीबोर / स्वैप दर से ऊपर 25 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ज) भारत में 15 सितंबर 2003 को कारोबार की समाप्ति से संवीदाकृत हों, उसी परिपक्वता अवधि की लीबोर / स्वैप दर से ऊपर 100 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(झ) 17 जुलाई 2003 से संवीदाकृत हों, उसी परिपक्वता अवधि की लीबोर / स्वैप दर से ऊपर 250 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(iii) पिछले माह के अंतिम कार्यदिवस को प्रभावी लीबोर/स्वैप दरें अनुवर्ती माह से लगाई जानेवाली ब्याज दरों की उच्चतम सीमा तय करने का आधार होंगी । एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए एफईडीएआई द्वारा उद्धृत लीबोर/स्वैप दरों का उपयोग संदर्भ दर के रूप में किया जाएगा।

(iv) परिचालनगत सुविधा के लिए ब्याज दरों को नजदीक के दशमलव बिंदु में पूर्णांकित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3.67 प्रतिशत की परिकलित ब्याज दर 3.7 प्रतिशत और 3.64 प्रतिशत की परिकलित ब्याज दर 3.6 प्रतिशत हो जाएगी ।

(v) उक्त ब्याज दरें एनआरई जमारशियों के नवीकरण पर भी लागू होंगी ।

(vi) **3 वर्ष की जमाराशियों के लिए ऊपर निर्धारित ब्याज दरें परिपक्वता अवधि 3 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी लागू होंगी ।**

****

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र

रुपया जमाराशि पर ब्याज दरें

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1)	शबैवि. पीसीबी.केंका. बीपीडी .परि. 21 /13.01.000 / 2007-08	15.11.2007	निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं
2)	शबैवि. पीसीबी.केंका. बीपीडी .परि. 37 /13.01.000 / 2006-07	26.04.2007	अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबैं
3)	शबैवि. पीसीबी. केंका. बीपीडी . परि. 28 /13.01.000 /2006-07	05.02.2007	अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबैं
4)	शबैवि. पीसीबी.परि.48/13.01.00/2005-06	20.04.2006	अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबैं
5)	शबैवि. पीसीबी.परि.42/13.01.00/2005-06	05.04.2006	अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबैं
6)	शबैवि. पीसीबी.परि.17/13.01.00/2005-06	22.11.2005	अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबैं
7)	शबैवि. पीसीबी.परि.27/13.01.00/2004-05	01.11.2004	अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें
8)	शबैवि. सं.28/13.01.00/2004-05	01.11.2004	घरेलू /साधारण अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता अवधि में कटौती
9)	बीपीडी.पीसीबी.परि.49/13.01.00/2002-03	29.04.2003	अनिवासी (बाह्ह्य) रूपया (एनआरई) खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियां
10)	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.4/13.01.00/ 2002-03	17.07.2003	अनिवासी (बाह्य) रूपया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
11)	शबैवि.केंका.बीपीडी.सं.14/13.01.00/2003-04	17.07.2003	अनिवासी (बाह्य) रूपया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
12)	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं. 20/13.01.00/ 2003-04	18.10.2003	अनिवासी (बाह्य) रूपया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
13)	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.43/13.01.00/ 2003-04	08.04.2004	देशी, साधारण अनिवासी (एनआरओ) एवं अनिवासी बाह्य (एनआरई) खातों में धारित रूपया जमाराशि पर ब्याज दरें
14)	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.46/13.01.00	17.04.2004	अनिवासी (बाह्य) रूपया खातों

	/ 2003-04		(एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
15)	बीपीडी.पीसीबीपरि.49/13.01.00/2002-03	29.04.2003	अनिवासी (बाह्य) रूपया (एनआरई) खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियां
16)	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.4/13.01.00/ 2002-03	17.07.2003	अनिवासी (बाह्य) रूपया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
17)	शबैवि.केंका.बीपीडी.सं.14/13.01.00/2003-04	17.09.2003	अनिवासी (बाह्य) रूपया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
18)	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.20/13.01.00/ 2003-04	18.10.2003	अनिवासी (बाह्य) रूपया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
19)	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी.)परि.सं.43/13.01.00/ 2003-04	08.04.2004	देशी, साधारण अनिवासी (एनआरओ) एवं अनिवासी बाह्य (एनआरई) खातों में धारित रूपया जमाराशि पर ब्याज दरें
20)	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.46/13.01.00 / 2003-04	17.04.2004	अनिवासी (बाह्य) रूपया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
21)	शबैंवि.बीपीडी.निदे.(पीसीबी) सं.42/ 13.01.00/ 2000-01	25.3.2003	जमाराशियों पर ब्याज दरें
22)	शबैंवि.सं.(पीसीबी) निदे. 10/ 13.01.00/ 2000-01	19.4.2001	जमाराशियों पर ब्याज दरें
23)	शबैंवि.सं.डीएस.निदे.13.01.00/2000-01	13.01.2001	जमाराशियों पर ब्याज दरें
24)	शबैंवि.सं.डीएस(पीसीबी)परि.20/13.01.00/ 2000-01	22.12.2000	मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिए अग्रिमों पर ब्याज दर
25)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.10/13.01.00/ 1999-2000	27.04.2000	जमाराशियों पर ब्याज दर
26)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.32/13.01.00/ 1999-2000	27.4.2000	अनिवासी (बाह्य) खातों के अंतर्गत रखी जमाराशि पर ब्याज दर
27)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.29/13.01.00/ 1999-2000	01.04.2000	जमाराशियों पर ब्याज दर
28)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.7/13.01.00/ 1999-2000	01.07.2000	जमाराशियों पर ब्याज दर
29)	शबैंवि.सं.डीएस.2/13.01.00/1999-2000	21.09.1999	जमाराशियों पर ब्याज दर
30)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.9/13.01.00/ 1999-2000	21.09.1999	जमाराशियों पर ब्याज दर
31)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.59/13.01.00/ 1997-98	26.05.1998	जमाराशियों पर ब्याज दर

32)	शबैंवि.सं.डीएस.निदे.पीसीबी.14/13.01.00/ 1997-98	29.04.1998	जमाराशियों पर ब्याज दर
33)	शबैंवि.सं.डीएस.निदे.पीसीबी.परि.53/13.01.0 01999-2000	29.04.1998	जमाराशियों पर ब्याज दर
34)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.12/13.01.00/ 1997-98	21.10.1997	जमाराशियों पर ब्याज दर
35)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.5/13.01.00/ 1997-98	21.10.1997	जमाराशियों पर ब्याज दर
36)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.2/13.01.00/ 1997-98	12.09.1997	अनिवासी (बाय)रुपया (एनआरई)खाता योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज दर
37)	शबैंवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.6/13.01.00/19 97-98 1997-98	12.09.1997	अनिवासी (बाय)रुपया (एनआरई)खाता योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज दर
38)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.2/13.01.00/19 97-98	17.07.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
39)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.26/13.01.00/ 1996-97	25.06.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
40)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.27/13.01.00/1 996-97	25.06.1997	अनिवासी (बाय)रुपया (एनआरई)खाता योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज दर
41)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.57/13.01.00/1 996-97	25.06.1997	जमाराशियों पर ब्याज दर
42)	शबैंवि.सं.डीएस. परि.पीसीबी.58/ 13.01.00/ 1996-97	25.06.1997	अनिवासी (बाहय)रुपया (एनआरई)खाता योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज दर
43)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.27/13.01.00/1 996-97	25.06.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
44)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.45/13.01.00/1 996-97	19.04.1997	जमाराशियों पर ब्याज दर - मीयादी जमाराशि का परिपक्तापूर्व आरण
45)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.20/13.01.00/ 1996-97	15.04.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
46)	शबैंवि.सं.डीएस.(पीसीबी.)निदे.21/13.01.00 /1996-97	15.04.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
47)	शबैंवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.44/13.01.00/1 996-97	15.04.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
48)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी. परि.21/ 13.01.00 / 1996-97	19.10.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
49)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.18/13.01.00/1	30.08.1996	अनिवासी (बाहय)रुपया

	996-97		(एनआरई)खाता योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज दर
50)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.9/13.01.00/1996-97	30.08.1996	जमाराशि पर ब्याज दर
51)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.16/13.01.00/1996-97	09.08.1996	मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिए अग्रिमों पर ब्याज दर
52)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.2/13.01.00/1996-97	01.07.1996	जमाराशि पर ब्याज दर
53)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.2/13.01.00/1996-97	01.07.1996	जमाराशि पर ब्याज दर
54)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.25/13.01.00/1995-96	13.04.1996	जमाराशि पर ब्याज दर
55)	शबैंवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.59/13.01.00/1996-97	13.04.1996	जमाराशि पर ब्याज दर
56)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.24/13.01.00/1995-96	30.03.1996	जमाराशि पर ब्याज दर
57)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.57/13.01.00/1995-96	30.03.1996	जमाराशि पर ब्याज दर
58)	शबैंवि.सं.डीएस.(पीसीबी).12/13.01.00/1995-96	30.10.1995	जमाराशि पर ब्याज दर
59)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.24/13.01.00/1995-96	30.10.1995	जमाराशि पर ब्याज दर
60)	शबैंवि.सं.डीएस.(पीसीबी).निदे.10/13.01.00/1995-96	29.09.1995	मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिए अग्रिमों पर ब्याज दर
61)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.15/13.01.00/1995-96	29.09.1995	जमाराशि पर ब्याज दर
62)	शबैंवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.17/13.01.00/1995-96	09.09.1995	मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिए अग्रिमों पर ब्याज दर
63)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.8/13.01.00/1995-96	29.09.1995	जमाराशियों पर ब्याज दर
64)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.17/13.01.00/1994-95	06.05.1995	जमाराशियों पर ब्याज दर
65)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.13/13.01.00/1994-95	17.4.1995	जमाराशियों पर ब्याज दर
66)	शबैंवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.50/13.01.00/1994-95	17.4.1995	जमाराशियों पर ब्याज दर
67)	शबैंवि.सं.डीएस.(पीसीबी)निदे.10 /13.01.00/ 1994-95	09.02.1995	जमाराशियों पर ब्याज दर
68)	शबैंवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.42/13.01.00/1	09.02.1995	जमाराशियों पर ब्याज दर

	994-95		
69)	शबैंवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.40/13.01.00/1994-95	04.02.1995	जमाराशियों पर ब्याज दर
70)	शबैंवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.26/13.01.00/1994-95	26.10.1994	जमाराशिपर ब्याज दर -मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम के संबंध मे मार्जिन
71)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.7/13.01.00/1994-95	26.10.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
72)	शबैंवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.21/13.01.00/1994-95	17.10.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
73)	शबैंवि.सं.डीएस. परि.पीसीबी.22/13.01.00/1994-95	17.10.1994	अनिवासी (बाय) रुपया खाते (एनआरई खाते) की जमाराशियों पर ब्याज दरें
74)	शबैंवि.सं.डीएस.(पीसीबी).निदे.4/13.01.00/1994-95	17.10.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
75)	शबैंवि.सं.डीएस.(पीसीबी).निदे.5/13.01.00/1994-95	17.10.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
76)	शबैंवि.सं.डीएस.परि.एडी.1/13.01.00/1994-95	07.07.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
77)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.1/13.01.00/1994-95	05.07.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
78)	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.(परि)83/13.01.00/1993-94	16.06.1994	बचत बैंक खाते पर ब्याज का परिकलन - मासिक आय निर्धारित करना
79)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)परि.70/13.01.00/1993-94	14.05.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
80)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)निदे.3/13.01.00/1993-94	14.05.1994	अनिवासी (बाय) रुपया खाता (एनआरई खाते)योजना के अंतर्गत जमाराशियां
81)	शबैंवि.सं.(पीसीबी).परि.58/13.01.00/1993-94	6.02.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर परिपक्वतापूर्व आरण
82)	शबैंवि.सं.(पीसीबी).परि.54/13.01.00/1993-94	08.02.1994	न्यूनतम अवधि से पले मीयादी जमाराशि का परिवक्वता अवधि पूर्व आरण - जमाराशि की जमानत पर दिए गए अग्रिमों पर ब्याज दर
83)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)डीसी.24/13.01.00/1993-94	11.10.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
84)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)डीसी.25/13.01.00/1993-94	11.10.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
85)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)15/डीसी/13.01.00/1993-94	01.09.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर

86)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)डीसी.16/13.01.00/1993-94	01.09.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
87)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)9/13.01.00/1993-94	04.08.1993	46 दिन की मीयादी जमाराशि का परिपक्वतापूर्व आरण - जमाराशि की जनामन पर अग्रिमों के संबंधमें ब्याज दरें
88)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)91/डीसी./13.01.00/1992-93	23.06.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
89)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)92/डीसी.वी.1 (बी)/1992-93	23.06.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
90)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)78/डीसी.वी.1 (बी)/1992-93	26.05.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर परिपक्वतापूर्व आहरण
91)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)68/डीसी.वी.1 (बी)/1992-93	15.05.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
92)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)69/डीसी. वी.1 (बी)/1992-93	15.05.1993	जमाराशियोंपर ब्याज दर - लंबी अवधि के लिए जमाराशि स्वीकार करना
93)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)56ए/डीसी. वी.1 (बी)/1992-93	07.04.1993	जमाराशियोंपर ब्याज दर
94)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)57/डीसी.वी.1 (बी)/1992-93	07.04.1993	अनिवासी (बाय) रुपया खातों के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दर
95)	शबैंवि.सं.(एसयूसी)104/डीसी. वी.1(बी)/1992-93	13.03.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
96)	शबैंवि.सं.(पीसीबी.)50/डीसी.वी.1 (बी)/1992-93	27.02.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
97)	शबैंवि.सं.(पीसीबी)51/डीसी.वी.1(बी)/92-93	27.02.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
98)	शबैवि(डीसी)36/पी.1/92-93	28.01.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर के संबंध में दिशा निर्देश- उपहार का स्वीकार्य मूल्य
99)	शबैवि.सं.(पीसीबी)24/डीसी.वी.1/92-93	08.10.1992	जमाराशियों पर ब्याज दर
100	शबैवि.सं.(पीसीबी)23/डीसी.वी.1/92-93	08.10.1992	जमाराशि [विदेशी मुद्रा से इतर (अनिवासी) खाते और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते]
101	शबैवि.सं.(पीसीबी)15/डीसी.वी.1/92-93	18.9.1992	46 दिनों की अवधिवाली मियादी जमाराशियों का परिपक्वतापूर्व आहरण जमाराशि कीजमानत पर अग्रिमों के संनंध में ब्याज दर
102	शबैवि.सं.(यूएएफ)1/डीसी.वी.1 /92-93	24.07.1992	बचत जमापर ब्याज दर - 24.4.1992 से 5% प्रतिवर्ष से बढाकर 6% प्रतिवर्ष करना
103	शबैवि.सं.(पीसीबी)70/डीसी.वी.1/91-92	23.04.1992	जमाराशियों पर ब्याज दर
104	शबैवि.सं.(पीसीबी)71/डीसी.वी.1/91-92	-"-	जमाराशियों पर ब्याज दर

105	शबैवि.सं.(पीसीबी)64/डीसी.वी.1/91-92	21.04.1992	जमाराशियों पर ब्याज दर
106	शबैवि.सं.(पीसीबी)65/डीसी.वी.1/91-92	-"-	जमाराशियों पर ब्याज दर
107	शबैवि.सं.(एसयूसी)48/डीसी.वी.1/(बी) 91-92	30.11.1991	जमाराशियों पर ब्याज दर
108	शबैवि.सं.(पीसीबी)24/डीसी.वी.1/91-92	08.10.1991	जमाराशियों पर ब्याज दर
109	शबैवि.सं.(पीसीबी)25/डीसी.वी.1/91-92	08.10.1991	जमाराशियों पर ब्याज दर
110	शबैवि.सं.(पीसीबी)19/डीसी.वी.1/91-92	20.09.1991	जमाराशियों पर ब्याज दर
111	शबैवि.सं.(पीसीबी)20/डीसी.वी.1/91-92	20.09.1991	जमाराशियों पर ब्याज दर
112	शबैवि.सं.(आरओ)6/डीसी.वी.1/91-92	17.09.1991	बचत बैंक खाता खोलना - जमा राशियों पर ब्याज दर - मीयादी जमाराशि पर ब्याज का भुगतान
113	शबैवि.सं.(पीसीबी)1/डीसी.वी.1/91-92	22.7.1991	जमा राशियोंपर ब्याज दर
114	शबैवि.सं.(पीसीबी)2/डीसी.वी.1/91-92	22.7.1991	जमाराशियों पर ब्याज दर
115	शबैवि.सं.(पीसीबी)76/डीसी.वी.1/90-91	26.04.1991	जमा राशियोंपर ब्याज दर- मीयादी जमाराशि का परिपक्वतापूर्व आहरण - ब्याज के परिकलन की पध्दति और दर
116	शबैवि.सं.(पीसीबी)64/डीसी.वी.1/90-91	12.04.1991	जमा राशियोंपर ब्याज दर
117	शबैवि.सं.(पीसीबी)65/डीसी.वी.1/90-91	12.04.1991	जमा राशियोंपर ब्याज दर
118	शबैवि.सं.(पीसीबी)67/डीसी.वी.1/90-91	12.04.1991	जमा राशियोंपर ब्याज दर
119	शबैवि.सं.(पीसीबी)68/डीसी.वी.1/90-91	12.04.1991	अनिवासी (बाह्य) रुपजया खातों के अंतर्गत रखीं जमाराशियों पर ब्याज दर
120	शबैवि.सं.(पीसीबी)44/डीसी.वी.1/90-91	-	जमा राशियोंपर ब्याज दर
121	शबैवि.सं.(पीसीबी)34/डीसी.वी.1/90-91	16.01.1991	जमा राशियोंपर ब्याज दर
122	शबैवि.सं.29/डीसी.29/(वी.1)/90-91	8.12.1990	आवर्ति जमाराशिकी किस्तों में चूक के लिए दंडात्मक ब्याज लगाना
123	शबैवि.सं.(पीसीबी)26/डीसी.(वी.1)/90-91	30.11.1990	जमा राशियोंपर ब्याज दर
124	शबैवि.सं.(पीसीबी)20/डीसी.(वी.1)/90-91	15.10.1990	जमा राशियोंपर ब्याज दर
125	शबैवि.सं.(पीसीबी)14/डीसी.वी.1/90-91	09.10.1990	जमा राशियोंपर ब्याज दर
126	शबैवि.सं.(पीसीबी)15/डीसी.वी.1/90-91	09.10.1990	जमा राशियोंपर ब्याज दर
127	शबैवि.सं.(पीसीबी)8/डीसी.वी.1/90-91	07.09.1990	जमाराशियोंपर ब्याज के संबंध में निदेश
128	शबैवि.सं.(पीसीबी)9/डीसी.वी.1/90-91	07.09.1990	मृत जमाकर्ता के जमाखाते पर देय ब्याज
129	शबैवि.सं.(पीसीबी)32/डीसी.वी.1(बी)/89-90	30.04.1990	जमाराशियोंपर ब्याज दर
130	शबैवि.सं.(यूसीबी)23/डीसी.(वी.1)/89-90	12.04.1990	जमाराशियोंपर ब्याज दर
131	शबैवि.सं.(यूसीबी)24/डीसी.(वी.1)/89-90	12.04.1990	अनिवासी (बाह्य) रुपजया खातों के अंतर्गत रखीं जमाराशियों पर ब्याज दर
132	शबैवि.सं.(पीसीबी)16/डीसी.वी.1(बी)/89-90	05.03.1990	जमाराशियोंपर ब्याज दर
133	शबैवि.सं.डीसी.49 /वी.1 89-90	13.12.1989	आवर्ति जमा के परिपक्वतापूर्व अपहरण/ बंद करने पर ब्याज के

			परिकलन को पध्दति और आवर्ती जमा की किस्तों में चूक के लिए दंडात्मक ब्याज लगाना
134	शबैवि.सं.डीसी.3 /वी.1 89-90	09.10.1989	जमाराशियोंपर ब्याज दर
135	शबैवि.सं.डीसी.32 /वी.1 89-90	09.10.1989	जमाराशियोंपर ब्याज दर
136	शबैवि.सं.डीसी.9 /वी.1 89-90	31.07.1989	जमाराशियोंपर ब्याज दर- मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान
137	शबैवि.सं.डीसी.101 /वी.1 88-89	27.03.1989	जमाराशियोंपर ब्याज दर
138	शबैवि.सं.डीसी.102 /वी.1 88-89	27.03.1989	जमाराशियोंपर ब्याज दर
139	शबैवि.सं.डीसी.12 /वी.1(बी) 88-89	30.7.1988	जमाराशियोंपर ब्याज के संबंध में निर्देश
140	शबैवि.सं.डीसी.104 /वी.1/ 87-88	02.04.1988	जमाराशियोंपर ब्याज दर
141	शबैवि.सं.डीसी.105 /वी.1 /87-88	02.04.1988	जमाराशियोंपर ब्याज दर
142	शबैवि.सं.डीसी.63 /वी.1/ 86-87	19.11.1987	बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान
143	शबैवि.सं.डीसी.60 /वी.1 /87-88	13.11.1987	जमाराशियोंपर ब्याज दर - अति देय जमाराशियों पर देय ब्याज दर
144	शबैवि.सं.डीसी.46 /वी.1 /87-88	10.10.1987	जमाराशियोंपर ब्याज दर
145	शबैवि.सं.डीसी.7 /वी.1 /87-88	06.07.1987	-"-
146	शबैवि.सं.डीसी.8 /वी.1 /87-88	06.07.1987	-"-
147	शबैवि.सं.डीसी.102 /वी.1 /86-87	25.06.1987	-"-
148	शबैवि.सं.डीसी.103 /वी.1 /86-87	25.06.1987	-"-
149	शबैवि.सं.डीसी.68 /वी.1 /86-87	01.04.1987	-"-
150	शबैवि.सं.डीसी.60 /वी.1 86-87	31.3.1987	-"-
151	शबैवि.सं.डीसी.61 /वी.1 86-87	31.3.1987	-"-
152	शबैवि.सं.डीसी.57 /वी.1 /85-86	19.11.1985	सावधि जमाराशियों की जमानत पर दिए ऋणों पर मार्जिन और ब्याज दर
153	शबैवि.सं.डीसी.56 /वी.1/ 85-86	19.11.1985	सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी, कासी गवर्नमेंट और स्थानीय निकायो एवं जन उपयोगी सेवाओं में लगे राज्य आवास बोर्ड जैसे कतिपय संगठनों के बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान
154	शबैवि.सं.डीसी.36 /वी.1 /85-86	9.10.1985	जमाराशियोंपर ब्याज दर
155	शबैवि.सं.डीसी.21 /वी.1 /85-86	12.9.1985	जमाराशियोंपर ब्याज के संबंध में निर्देश
156	शबैंवि.(डीसी) 3408/वी.1-84/85	25.05.1985	रुपयों मे अनिवासी खाते
157	शबैंवि.(डीसी) 3413/वी.1-84/85	25.05.1985	जमाराशियों पर ब्याज
158	शबैंवि.(डीसी) 3415/वी.1-84/85	25.05.1985	जमाराशियों पर ब्याज दर - 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जमाराशियां स्वीकारना
159	शबैंवि.(डीसी) 3414/वी.1-84/85	24.05.1985	जमाराशियों पर ब्याज दर
160	शबैंवि.(डीसी) 3160/वी.1-84/85	06.04.1985	जमाराशियों पर ब्याज दर
161	शबैंवि.(डीसी) 3161/वी.1-84/85	06.04.1985	जमाराशियों पर ब्याज दर

162	शबैंवि.आईएण्डएल.1707/जे.1-84/85	23.02.1985	पुनर्निवेश योजना के अंतर्गत स्वीकारी गई जमाराशियों पर ब्याज कोजमा खातों मे जमा करना
163	शबैंवि.(डीसी) 890/वी.1-84/85	09.01.1985	जमाराशियों पर ब्याज दर - मृत जमाकर्ता के चालु खाते में पडी राशि पर बचत बैंक दर से ब्याज अदा करना
164	डीबीओडी .यूबीडी. (डीसी) 128/वी.1-83/84	22.07.1983	जमाराशियों पर ब्याज दर
165	डीबीओडी .यूबीडी. (डीसी) 1055/वी.1-82/83	04.12.1983	जमाराशियों पर ब्याज दर
166	डीबीओडी .यूबीडी. (डीसी) 464/वी.1-82/83	26.10.1982	जमाराशियों पर ब्याज दर
167	डीबीओडी .यूबीडी. (डीसी) 465/वी.1-82/83	26.10.1982	जमाराशियों पर ब्याज दर
168	एसीडी.आईडी. (डीसी) 38/वी.1-82/83	09.07.1982	जमाराशियों पर ब्याज दर से संबंधित निदेशों के उपबंधों का उल्लंघन
169	एसीडी.आईडी. (डीसी) 2692/वी.1-81/82	03.06.1982	जमाराशियों पर ब्याज दर - जन उपयोगी सेवाओं में लगे नगरपालिका निगमों, राज्य आवास बोर्डो जैसे कतिपय संगठनों के बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान
170	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1882/वी.1-81/82	01.03.1982	जमाराशियों पर ब्याज दर
171	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1883/वी.1-81/82	01.03.1982	जमाराशियों पर ब्याज दर
172	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1249/वी.1-81/82	21.12.1981	जमाराशियों पर ब्याज दर
173	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1251/वी.1-81/82	21.12.1981	जमाराशियों पर ब्याज दर
174	एसीडी.आईडी. (डीसी) 367/वी.1-81/82	13.08.1981	जमाराशियों पर ब्याज दर - जमा राशि का परिपक्वता पूर्व आरण
175	एसीडी.आईडी. (डीसी) 369/वी.1-81/82	13.08.1981	जमाराशियों पर ब्याज दर
176	एसीडी.आईडी. (डीसी) 256/वी.1-81/82	22.07.1981	जमाराशियों पर ब्याज दर - जमा राशि का परिपक्वता पूर्व आरण
177	एसीडी.आईडी. (डीसी) 2133/वी.1-80/81	02.03.1981	जमाराशियों पर ब्याज दर
178	एसीडी.आईडी. (डीसी) 2132/वी.1-80/81	02.03.1981	जमाराशियों पर ब्याज दर
179	एसीडी.आईडी. (डीसी) 2961/वी.1-79/80	16.05.1980	जमाराशियों पर ब्याज से संबंधित निदेश
180	एसीडी.आईडी. (डीसी) 791/वी.1-79/80	14.05.1979	जमाराशियों पर ब्याज दर
181	एसीडी.आईडी. (डीसी) 790/वी.1-79/80	13.09.1979	जमाराशियों पर ब्याज दर
182	एसीडी.आईडी. (डीसी) 3167/वी.1-78/79	19.02.1979	जमाराशियों पर ब्याज दर
183	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1259/वी.1-78/79	20.04.1978	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ई के अंतर्गत घोषणा द्वारा शामिल की गई जमाराशि पर ब्याज दर
184	एसीडी.आईडी. (डीसी) 584/वी.1-78/79	23.08.1978	जमाराशियों पर ब्याज दर
185	एसीडी.आईडी. (डीसी) 585/वी.1-78/79	23.08.1978	जमाराशियों पर ब्याज दर
186	एसीडी.आईडी. (डीसी) 9264/वी.1-77/78	02.06.1978	जमाराशियों पर ब्याज दर -सावधि जमाराशि पर मासिक आधार पर ब्याज

			का भुगतान
187	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 8866/वी.1-77/78**	10.05.1978	**जमाराशियों पर ब्याज के संबंध में निर्देश**
188	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 6975/वी.1-77/78**	07.03.1978	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
189	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 6976/वी.1-77/78**	07.03.1978	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
190	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 6870/वी.1-77/78**	01.03.1978	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
191	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 6871/वी.1-77/78**	01.03.1978	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
192	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 2717/वी.1-77/78**	21.09.1977	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
193	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 2718/वी.1-77/78**	31.9.1977	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
194	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 1092/वी.1-77/78**	30.07.1977	**जमाराशियों पर ब्याज दर- अतिदेय जमाराशि**
195	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 11438/वी.1-76/77**	20.06.1977	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
196	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 10844/वी.1-76/77**	31.05.1977	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
197	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 10845/वी.1-76/77**	31.05.1977	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
198	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 3677वी.1-76/77**	01.11.1976	**जमाराशियों पर ब्याज दर- जमा सबध्द जनता वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी**
199	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 12504/जे.32-75/76**	21.06.1976	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
200	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 12505/जे.32 75/76**	21.06.1976	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
201	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 8217/जे 32-75/76**	31.01.1976	**जमाराशियों पर ब्याज दर - जमाराशियों का परिपक्वतापूर्व आरण**
202	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 5257/जे.32-75/76**	24.11.1975	**जमाराशियों पर ब्याज दर - जमा संग्रण योजना**
203	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 4300/जे.32-74/75**	12.02.1975	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
204	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 4301/जे.32-74/75**	12.02.1975	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
205	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 4141/जे.32-74/75**	31.01.1975	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
206	**एसीडी.आईडी. (डीसी) 4142/जे.32-74/75**	31.01.1975	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
207	**एसीडी.आईडी. 3986/जे.32-74/75**	21.10.1975	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
208	**एसीडी.आईडी. 2918/जे.32-74/75**	22.11.1974	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
209	**एसीडी.आईडी. 2919/जे.32-74/75**	22.11.1974	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
210	**एसीडी.आईडी. 935/जे.32-74/75**	16.08.1974	**जमाराशियों पर ब्याज दर**
211	**एसीडी.आईडी. 936/जे.32-74/75**	16.08.1974	**जमाराशियों पर ब्याज दर**